कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा), मध्य प्रदेश,

सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/निर्व/काष्ठ/1422 भोपाल, दिनांक: 9/4/2001

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश ।

विषय:- काष्ठागारों में वनोपज नीलाम ।

---0---

इस कार्यालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय काष्ठागारों में वनोपज का नीलाम देर रात्रि तक जारी रखा जाता है । यह प्रक्रिया उचित नहीं है ।

नीलाम प्रक्रिया प्रात: 9.00 बजे से प्रारम्भ कर शाम के पहले समाप्त कर दी जाये । किसी भी परिस्थिति में नीलाम की कार्यवाही शाम के बाद जारी न रखी जावे । यदि लॉटो की संख्या वनोपज की मात्रा अधिक हो तो अगले दिन भी नीलाम रखा जावे ।

काष्ठागारों में जलाऊ चट्टों की नीलामी इमारती लकड़ी की नीलामी समाप्त होने के बाद की जाती है जिससे जलाऊ लकड़ी के क्रेताओं में अनिश्चितता बनी रहती है कि यह नीलामी कब होगी । अत: यह निर्देशित किया जाता है कि इमारती लकड़ी की नीलामी के प्रथम दिन भोजन आवकाश के बाद अपरान्ह 3.00 बजे जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जावे तथा इसका उल्लेख नीलाम विज्ञापन में स्पष्ट किया जावे ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल